संख्या– 23 / 2020 /693 / 12–5–2020–सा0–01 / 2019

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक,
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 03 जून ,2020

विषयः–'''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि(पी0एम0–किसान)'' योजना के लाभार्थियों की मृत्यु होने के पश्चात उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों को योजना का लाभ दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0–किसान) योजना के कियान्वयन के संबंध में निर्गत शासनदेश संख्या–6 / 2019 / 07–भा0स0 / 12–5–2019–सा–01 / 2019, दिनांक 05 फरवरी, 2019, शासनदेश संख्या–8 / 2019 / 204 / 12–5–2019–सा–01 / 2019, दिनांक 06 फरवरी, 2019, सपठित शुद्धि पत्र संख्या–9 / 2019 / 204(2) / 12–5–2019–सा–01 / 2019, दिनांक 07 फरवरी, 2019, शासनदेश संख्या–31–भा0स0 / 12–5–2019–सा–01 / 2019, दिनांक 05 अप्रैल, 2019, शासनदेश संख्या–26 / 2019 / 36–भा0स0 / 12–5–2019–सा–01 / 2019, दिनांक 08 अप्रैल, 2019, शासनदेश संख्या–30 / 2019 / 609 / 12–5–2019–सा–01 / 2019, दिनांक 09 मई, 2019 एवं शासनदेश संख्या–797 / 12–5–2019–सा–01 / 2019, दिनांक 13 जुलाई, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा योजना कियान्वयन हेतु समय–समय पर दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

2– उल्लेखनीय है कि पी0एम0–किसान योजना के अन्तर्गत 02 करोड से भी अधिक लाभार्थियों का चयन हो गया है तथा वह योजना का लाभ प्रति वर्ष 03 बराबर किश्तों में प्राप्त कर पा रहे हैं। ये आवश्यक है कि अगर कोई लाभार्थी / कृषि भू–स्वामी मृतक हो जाता है तो उनकी आगामी किश्तों को रोका जाय एवं उनके स्थान पर केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वारिसों के प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर उनकी पात्रता का परीक्षण करते हुए योजना का लाभ आरम्भ किया जाए।

3– उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 (यथासंशोधित) की धारा–33 में उत्तराधिकार के मामलों में नामान्तरण की निम्नलिखित प्रकिया दी गयी है :–

(i) उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस हल्के के, जिसमें भूमि स्थिति है, राजस्व निरीक्षक को ऐसे उत्तराधिकार के संबंध में यथाविहित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ii) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उसके संज्ञान में अन्यथा तथ्य आने पर राजस्व निरीक्षक–

(क) यदि मामला विवादग्रस्त नहीं है तो ऐसे उत्तराधिकार को अधिकार अभिलेख (खतौनी) में अभिलिखित करेगा;

(ख) किसी अन्य मामले में ऐसी जाँच करेगा जैसी उसे आवश्यक प्रतीत हो और वह अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा;

(iii) कोई व्यक्ति जिसका नाम राजस्व निरीक्षक द्वारा अभिलिखित न किया गया हो या जो उपधारा (2) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किए गए आदेश द्वारा व्यथित हो, वह तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(iv) इस धारा के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होंगे जिसे इस संहिता के उपबन्धों या इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अनुसार भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा असंकमणीय अधिकारयुक्त या असामी स्वीकार किया गया हो।

2 / –

सहायक निदेशक
(समन्वय एवं कम्प्यूटर)

4— उपर्युक्त के क्रम में योजना के लाभार्थी भू—स्वामी की मृत्यु हो जाने की दशा में निम्न प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है :—

(i) कृषि विभाग की फील्ड अधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र का विवरण (राजस्व ग्राम के विवरण सहित) निर्धारित कर दिया जाय तथा तहसील/विकास खण्ड को भी प्रेषित कर दिया जाये।

(ii) सम्बन्धित राजस्व कर्मी का दायित्व होगा कि वह वरासत दर्ज करते ही मृतक का विवरण संबंधित कृषि विभाग के फील्ड अधिकारी को भेजें, जिससे उनका भविष्य की किस्तों का भुगतान रोका जा सके।

(iii) कृषि विभाग के अधिकारी/फील्ड लेबल कर्मचारी नियमित रूप से (कम से कम एक पक्ष में एक बार) अपने कार्य क्षेत्र के राजस्व कर्मियों/लेखपाल से ये जानकारी प्राप्त करेगें कि उनके क्षेत्र में अनविार्यतः कितने कृषक/कृषि भू—स्वामियों की मृत्यु हुई है।

(iv) कृषि विभाग के फील्ड कर्मचारी स्वयं भी समय—समय पर अपने विभागीय कार्य हेतु ग्रामों का भ्रमण करते हैं। भ्रमण के समय भी वह इस बात की जानकारी लेंगें कि किसी कृषक की मृत्यु हुई है अथवा नहीं, और ऐसी सूचना होने पर उसका पूर्ण विवरण प्राप्त करेंगें।

(v) मृतक लाभार्थी के आश्रित भी स्वयं मृत्यु की सूचना इस आशा के साथ दे सकते हैं कि वारिसों को पीएम किसान के लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया जाए।

5— इस प्रकार विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त होने पर मृतक लाभार्थी का जिला स्तर पर ही स्टाप पेमेंट संबंधित उप निदेशक, कार्यालय द्वारा किया जाएगा एवं उस प्रकरण का विवरण साक्ष्य सहित निदेशालय को भेजा जाएगा। जिसके संबंध में पूर्व में भी निर्देश दिए जा चुके हैं और व्यवस्था बनी हुई है।

6— निदेशालय द्वारा ऐसे प्रकरणों का डेटा डिलीट करते हुए उस लाभार्थी का कारणों सहित सूची से नाम हटा दिया जाएगा जिससे भविष्य में उनका भुगतान रूक सके।

7— पीएम—किसान योजना की भारत सरकार द्वारा जारी गाइड—लाइन के प्रस्तर—5.3.3(i) में दी गयी व्यवस्थानुसार मृत लाभार्थी के वैध उत्तराधिकारियों को यदि वे योजना की गाइड—लाइन के अनुसार पात्रता श्रेणी में आते हैं तो समस्त औपचारिकताएं तथा अभिलेख आदि का सत्यापन कराते हुए राजस्व विभाग से पुष्टि एवं संस्तुति के उपरान्त उनका पीएम—किसान योजना के लाभार्थी के रूप में ऑन—लाइन पंजीकरण किया जायेगा और तद्नुसार योजना का लाभ अनुमन्य कराया जायेगा। उनके आधार कार्ड की प्रतिलिपि, बैंक खाता की प्रतिलिपि व स्व—घोषणा प्रपत्र प्राप्त किया जाएगा एवं संबंधित राजस्व कर्मी से भूमि का सत्यापन करते हुए उनका लाभार्थी के रूप में चयन करते हुए सम्मिलित किया जाएगा।

तद्नुसार ही संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

3/6/2020

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या—23/2020/693 (1)12—5—2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2— कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5— निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
6— समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7— गार्ड फाइल हेतु।

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव